भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 396

जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर

396. श्री एस. वेंकटेशन:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छह वित्त वर्षो (2018-19 से 2023-24) के दौरान एकत्र किए गए शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय की गई उक्त उपकर की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) अप्रयुक्त उपकर का ब्यौरा क्या है और इसे किस शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है;
(घ) क्या सरकार ने एकत्र किए गए इस उपकर के प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन निधि बनाने का आश्वासन दिया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) पिछले छह वित्तीय वर्षों में एकत्रित किए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का वर्ष-वार विवरण अनुबंध 'क' में संलग्न है।

(ख) पिछले छह वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के उपयोग का वर्ष-वार विवरण अनुबंध 'ख' में संलग्न है।

(ग) संग्रहित स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्राप्त आय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। उपरोक्त उपकर से प्राप्त राशि का समर्पित आरक्षित निधि अर्थात प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके), माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) के माध्यम से उपयोग किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में अप्रयुक्त/खर्च नहीं की गई शेष राशि वित्त वर्ष के अंत पर समापन शेष का हिस्सा बनती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भाग (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****

अनुलग्नक क

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का संग्रहण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	लेवी का नाम	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2022-23	संशोधित अनुमान 2023-24
1	प्राथमिक शिक्षा उपकर (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं से हटाया गया)	97.40	81.48	61.85	15.44	3.18	0.00
2	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं से हटाया गया)	34.24	27.97	11.42	2.50	1.45	0.00
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (प्राथमिक शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को विलय करने के बाद 2018-19 के बजट से पेश किया गया)	41177.44	39131.10	35821.55	52732.33	61809.29	73000.00

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग

अनुलग्नक ख

उपकर प्राप्ति का उपयोग (आरक्षित निधि में अंतरित)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	लेवी का नाम	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2022-23	संशोधित अनुमान 2023-24
1	प्रारंभिक शिक्षा कोष	25227.90	26848.35	30168.34	31788.25	38000.00	38000.00
2	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष #	-	14460.25	20561.27	25000.00	14250.00	37833.33
3	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि#	-	-	20000.00	21498.72	18339.27	9869.87

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग

आरक्षित निधि अर्थात माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पिछले वित्तीय वर्ष से चालू की गई है। 2019-20 से 2021-22 तक का उपयोग संबंधित वर्ष के लिए संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार है।

****